

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पुलिस अधीक्षक, जिला चित्तौड़गढ़

बनाम

मो. कल्लु उर्फ कालु पिता मो. फकरु निवासी मोहर मंगरी हाल चंदेरिया

प्रकरण संख्या 111/2023 (रा.गु.नि.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.08.24	<p>पत्रावली पेश हुई। अभियोजन अधिकारी उपस्थित। थानाधिकारी, थाना चंदेरिया ने गैरसायल मो. कल्लु उर्फ कालु पिता मो. फकरु का जमानती वारण्ट मय मौतबिरान की तस्दीक के उसकी मृत्यु होने की सूचना के मय मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रति के प्रस्तुत किया। चूंकि मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रति अनुसार गैरसायल की दिनांक 23.07.2021 को मृत्यु हो चुकी है। अतः प्रकरण में गैरसायल के विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> 	